राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/ज.जा.बालिका छात्रावास रेजीडेन्सी/18–19/ 7269–86 दिनांक : 16/03/2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (with modern facilities and amenities /center of excellence) रेजीडेन्सी परिसर मधुवन उदयपुर के स्थान पर स्वच्छ परियोजना परिसर बडी पं.स. बडगॉव में निर्माण की स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 36256–67 दिनांक 20.09.2019 द्वारा जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण with modern facilities and amenities/center of excellence रेजीडेन्सी परिसर मधुवन उदयपुर की वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 1776.00 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त किया गया।

शासन से पत्रावली के पैरा संख्या 74/एन पर स्वच्छ परियोजना परिसर बडी पं. स. बडगॉव में निर्माण का अनुमोदन प्राप्त हुआ है अतः जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (with modern facilities and amenities /center of excellence) रेजीडेन्सी परिसर मधुवन उदयपुर के **स्थान पर स्वच्छ** परियोजना परिसर बडी पं. स. बडगॉव में निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्ते–

1. **निर्माण पश्चात भवन का उपयोग शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण** एवं **ट्रेनिंग सेन्टर के रूप मे किया जायेगा।**
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्ता पूर्वक** किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

sd
(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S.
आयुक्त

कृ.पृ.उ.

क्रमांक यथोपरि/7269 – 86 दिनांक : 16/03/2020

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर उदयपुर।
4. निदेशक/स्वच्छ परियोजना प्रबंधक को भेजकर लेख है कि कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड उदयपुर को स्वच्छ परियोजना परिसर बडी पं. स. बडगॉव का साईट प्लान उपलब्ध करावें एवं निमार्ण में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
5. प्रशासक/मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन, राजस्थान जयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन, राजस्थान जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कृषि उपज मंडी उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि नवीन चयनित स्थल के साईट प्लान में प्रस्तावित निर्माण कार्य को चिन्हित कर अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें।
7. वित्तीय सलाहकार/मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/शिक्षा/तकनीकी शिक्षा कार्यालय हाजा।
8. प्राचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेजिडेन्सी उदयपुर।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in

Eng. EMRS LETTER FS 4 2019-20